प्रेषक,

जनपद न्यायाधीश, शाहजहॉपुर।

सेवा में.

महानिबन्धक,

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।

पत्रांक-

1400 /पन्द्रह

दिनांक-11-09-2020

विषय-

Mechanism/Modalities for functioning of District Court & Outlying Courts, Shahjahanpur, not falling under Containment Zone during COVID-19 pandemic.

महोदय,

ससम्मान निवेदन है कि माननीय न्यायालय के पत्र संख्या—1117/LXXXVII—सी0पी0सी0/ई—कोर्ट्स/इलाहाबाद/दिनांकित 03 जून, 2020 तथा पत्र संख्या—1293/LXXXVII—सी0पी0सी0/ई—कोर्ट्स/इलाहाबाद/दिनांकित 16 जुलाई, 2020 के अनुपालन के सन्दर्भ में कोरोना समिति, जनपद न्यायालय, शाहजहाँपुर को दैनिक कार्यवाही की रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके अनुपालन में कोरोना समिति द्वारा आज दिनांक 11—09—2020 को आख्या अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

उक्त आख्या की छायाप्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर माननीय न्यायालय के अवलोकनार्थ सादर प्रेषित की जा रही है।

दिनांक— 11—09—2020 संलग्नक—यथोक्त। भवदीय

जनपद न्यायाधीश, शाहजहॉपुर। प्रेषक,

कोरोना समिति.

जनपद न्यायालय, शाहजहाँपुर।

सेवा में.

माननीय जनपद न्यायाधीश,

शाहजहाँपुर।

विषयः

कोरोना वायरस के प्रसार के खतरे को रोकने के लिए निवारक एवं उपचारात्मक प्रयास करने के सन्दर्भ

में दैनिक कार्यवाही की आख्या प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

माननीय उच्च न्यायालय के पत्र संख्या- 1117/LXXXVII-CPC/e-Courts/Allahabad/ दिनांकित 03.06.2020 तथा पत्र संख्या- 1293/LXXXVII-CPC/e-Courts/Allahabad/ दिनांकित 16.07.2020 में दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में माननीय महोदय के प्रशासनिक आदेश संख्या-121/2020 दिनांकित 04.06.2020 तथा प्रशासनिक आदेश संख्या-138/ 2020 दिनांकित 17.07.2020 के अनुपालन में कोरोना समिति द्वारा कोरोना वायरस के प्रसार के खतरे को रोकने के लिये निवारक एवं उपचारात्मक प्रयासों तथा न्यायालयों की कार्यवाही के सम्बन्ध में आज दिनांक 11.09.2020को सम्पादित कार्यों का विवरण निम्नवत् है:-

- माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में जिलाधिकारी, शाहजहांपुर के कार्यालय पत्रांक- 438/ कोविड-19/2020-2021 दिनांकित 11.09.2020 द्वारा अवगत कराया गया है कि जनपद मुख्यालय शाहजहाँपुर तथा बाह्य न्यायालय, तिलहर, जलालाबाद एवं पुवायां कन्टेनमेंट जोन से बाहर है।
- 2. कोरोना संक्रमण के प्रसार के खतरे को रोकने के लिये निवारक एवं उपचारात्मक प्रयास हेतु माननीय जनपद न्यायाधीश, महोदय के निर्देशानुसार दिनांक- 08.09.2020 से चलाये जा रहे विशेष अभियान के अंतर्गत कोरोना संक्रमण के परीक्षण हेतु पहले चरण दिनांक- 08.09.2020 में अवशेष न्यायिक अधिकारीगण, कर्मचारीगण तथा तैनात सुरक्षा कार्मिकों के कोरोनो संक्रमण की जाँच का कार्य पुन: दिनांक- 10.09.2020 को आरम्भ किया गया l जिसमें जनपद न्यायालय के 03 न्यायिक अधिकारीगण तथा 124 कर्मचारीगण व सुरक्षा कार्मिकों सहित कुल 127 लोगों का कोरोना परीक्षण एंटीजेंन टेस्ट (रैपिड टेस्टिंग किट) के माध्यम से कराया गया। जिसके उपरांत केन्द्रीय नाज़िर, जनपद न्यायालय, शाहजहाँपुर के पत्र दिनांकित 10.09.2020 द्वारा अवगत कराया गया कि उपरोक्त कोरोना परीक्षण में न्यायालय की तृतीय श्रेणी महिला कर्मचारी श्रीमती सुनीता शुक्ला तथा लोक अभियोजक श्री अजय कुमार कोरोनो संक्रमित पाये गये हैं। जिसकी पुष्टि जिलाधिकारी, शाहजहाँपुर ने अपने कार्यालय पत्रांक-437/कोविड-19/2020-2021, दिनांकित 10.09.2020 तथा मुख्य चिकित्साधिकारी, शाहजहांपुर ने अपने कार्यालय पत्रांक-म्.चि.अ./कोविड-19/2020-21/3345, दिनांकित 10.09.2020 द्वारा करते हुए यह अवगत कराया कि श्री राजेन्द्र कुमार तिवारी, मुख्य सचिव, उ.प्र. शासन, (गोपन अनुभाग-3), लखनऊ, दिनांकित-06.05.2020 तथा श्री अमित मोहन प्रसाद, प्रमुख सचिव, उ.प्र. शासन, चिकित्सा अनुभाग-5 के पत्र संख्या-902/पांच-5-2020, दिनांकित- 31.05.2020 के निर्देशानुसार सम्बंधित कार्यस्थल को 24 घंटे के लिये पूर्णतया वंद कराकर दो बार विसंक्रमित किये जाने की आवश्यकता है। तदैव माननीय उच्च न्यायालय के पत्र संख्या-1117/LXXXVII-CPC/e-Courts/Allahabad, दिनांकित 03.06.2020 के अनुपालन तथा उपरोक्त आख्याओं के अनुसार माननीय जनपद न्यायधीश, शाहजहाँपुर के प्रशासनिक आदेश संख्या-181/2020, दिनांक- 10.092020 द्वारा आज दिनांक 11.09.2020 को सम्पूर्ण जनपद न्यायालय परिसर को 24 घंटे के लिये पूर्णतया बंद कराकर जिला प्रशासन एवं नगर निगम से समन्वय स्थापित करके मानक के अनुरूप सम्पूर्ण न्यायालय परिसर को दिन में दो बार सेनेटाइज कराकर विसंक्रमित कराया गया है। (सुलभ सन्दर्भ हेतु आदेश कि प्रति संलग्न है) तदैव माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार जनपद न्यायालय शाहजहाँपुर के बाह्य न्यायालय तिलहर, जलालाबाद तथा पुवायां ही कार्य सम्पादन हेतु खोले गये हैं।
- 3. आज दिनांक 11.09.2020को माननीय जनपद न्यायधीश, शाहजहाँपुर के प्रशासनिक आदेश संख्या-181/2020, दिनांक- 10.09.2020 के अनुपालन में जनपद न्यायालय, शाहजहाँपुर (मुख्यालय) विसंक्रमित कराकर पूर्णतया बंद रखा गया। बाह्य न्यायालय तिलहर, पुवायां एवं जलालाबाद के परिसर का उचित रीति से सेनेटाइजेशन कराया गया है।

- 4. माननीय उच्च न्यायालय के पत्र संख्या- 1298/LXXXVII-CPC/e-Courts/Allahabad/ दिनांकित 28.07.2020 में दिये गये निर्देशों के अनुसार माननीय जनपद न्यायधीश, शाहजहाँपुर के प्रशासनिक आदेश संख्या-147/2020, दिनांक-29.07.2020 तथा प्रशासनिक आदेश संख्या-162/2020, दिनांक-13.08.2020 में उल्लिखित न्यायालयों एवं उक्त आदेशों में वर्णित प्रकृति के वादों की सुनवाई सम्बंधित न्यायिक अधिकारियों द्वारा अपने-अपने आवासीय कार्यालयों से वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से सम्पादित की गयी। आदेश में उल्लिखित न्यायालयों के अतिरिक्त मुख्यालय के अन्य सभी न्यायालय माननीय जनपद न्यायधीश, शाहजहाँपुर के प्रशासनिक आदेश संख्या-181/2020, दिनांक- 10.09.2020 के अनुपालन में बंद रहे। बाह्य न्यायालय तिलहर, जलालावाद तथा पुवायां कार्य सम्पादन हेतु खोले गये हैं। वाह्य न्यायालय, जलालाबाद रिक्त है तथा वाह्य न्यायालय, तिलहर व पुवायां में कार्य सम्पादित करने वाले न्यायालयों में कुल 02 न्यायिक अधिकारी उपस्थित आयें है। बाह्य न्यायालय तिलहर, जलालाबाद तथा पुवायां में कुल 21 कर्मचारी उपस्थित आयें है
- 5. जनपद न्यायालय, शाहजहाँपुर की समर्पित (dedicated) ई-मेल आई.डी. districtcourtspn@gmail.com है। इस ई-मेल आई.डी. पर आज दिनांक 11.09.2020 को कोई भी आवेदन पत्र, जमानत प्रार्थनापत्र, बहस इत्यादि प्रस्तुत नहीं किया गया है।
- 6. विचाराधीन बन्दियों का रिमाण्ड कार्य आदि केवल वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से ही किया जा रहा है और किसी भी बन्दी को सुनवाई हेतु न्यायालय नहीं बुलाया जा रहा है।
- 7. माननीय जनपद न्यायधीश, शाहजहाँपुर के प्रशासनिक आदेश संख्या-147/2020, दिनांक-29.07.2020 तथा प्रशासनिक आदेश संख्या-162/2020, दिनांक-13.08.2020 में उल्लिखित न्यायालयों द्वारा आज की तिथि पर विचारित किये गये मामलों की संख्या तथा उनके द्वारा निस्तारित मामलों की संख्या इस अनुपालन आख्या के साथ सारणी रूप में संलग्न की जा रही है।

उपरोक्तानुसार समिति की दैनिक अनुपालन आख्या माननीय महोदय के समक्ष अवलोकनार्थ सादर प्रस्तुत है।

दिनांकः 11.09.2020

संलग्नक: यथोक्त

कोरोना समिति/

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जनपद न्यायालय, शाहजहाँपुर।

र्यः प्रमेश चन्द्र मिश्रा)

. सदस्य.

कोरोना समिति/

प्रभारी मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, जनपद न्यायालय, शाहजहाँपुर। (सुरजन सिंह)

सदस्य.

कोरोना समिति/

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जनपद न्यायालय, शाहजहाँपुर। (किरन पाल सिंह) 11.9.20

अध्यक्ष.

कोरोना समिति/

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,

जनपद न्यायालय, शाहजहाँपुर।

(र्कुलदीप कुमार)

सदस्य.

कोरोना समिति/

न्यायालय प्रबन्धक,

जनपद न्यायालय, शाहजहाँपुर।

Soon. / Day 2020 .

प्रेषक,

जिलाधिकारी,

शाहजहाँपुर।

सेवा में.

अध्यक्ष,

कोरोना समिति / अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शाहजहाँपुर।

संख्या μ 30 / कोविड-19/2020-2021

दिनांक 🖊 सितम्बर,2020

विषय :

कोरोना वायरस के प्रसार के खतरे के दृष्टिगत जनपद मुख्यालय शाहजहाँपुर एवं तहसील तिलहर, पुवायाँ व जलालाबाद की जोन की स्थिति की रिपोर्ट उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या—702/XV दिनांक 21 मई, 2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें कोरोना वायरस के प्रसार के खतरे के दृष्टिगत जनपद मुख्यालय शाहजहाँपुर एवं तहसील तिलहर, पुवायाँ व जलालाबाद की जोन की स्थिति की दैनिक आख्या प्रतिदिन उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

उक्त के क्रम में सादर अवगत कराना है कि भारत सरकार की नयी गाइड लाइन्स के अनुसार जनपद न्यायालय परिसर तथा वाह्य न्यायालय तिलहर, पुवायाँ व जलालाबाद का परिक्षेत्र कन्टेनमेन्ट जोन से बाहर है।

तद्नुसार सूचनार्थ सादर प्रेषित।

भवदीय

अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)

नोडल अधिकारी शाहजहाँपुर।

Office of District & Sessions Judge, Shahjahanpur. Administrative Order No. 18 1 /2020

It has been intimated by the Corona Committee, District Court, Shahjahanpur vide report dated 10.09.2020 at 07.45 PM, that Smt. Sunita Shukla (Class-III employee) and Public prosecutor Sri Ajay Kumar, were found COVID-19 positive. Today employee Smt. Sunita Shukla and public prosecutor Sri Ajay Kumar were present in the court campus. As soon as the information received, looking the gravity of the information, a report was called from the CMO, Shahjahanpur and the District Magistrate, Shahjahanpur for confirmation. The Office of the District Magistrate Shahjahanpur vide letter no. 437/COVID-19/2020-2021 dated 10.09.2020, CMO's letter no. CMO/COVID-19/2020-21/3345 dated 10.09.2020 have confirmed that employee named Smt. Sunita Shukla (Class-III employee) and Public prosecutor Sri Ajay Kumar have been found CORONA (COVID-19) Positive.

The Chief Medical Officer, Shahjahanpur and Corona Committee District Court, Shahjahanpur have also opined that as per directions of U.P. Govt., detailed in letter no. 902/five-5–2020 Dated 31.05.2020 of Sri Amit Mohan Prasad, Principal Secretary of U.P. Govt., Chikitsa Anubhag–05 and G.O.No.1431/2020/CX-3 dated 06.06.2020 of Sri Rajendra Tiwari, Chief Secretary of U.P. Govt., the court should be closed for 24 hours and the entire court campus should be sanitized and disinfected twice.

In compliance of the guidelines issued by the Hon'ble High Court vide letter no. 1117/LXXXVII-CPC/e-Courts/Allahabad/Dated: 03 June 2020 and considering the reports of the District Magistrate as well as the CMO, Shahjahanpur, I am also of the opinion that to prevent the spread of COVID-19, among employees, advocates. litigents and other stake-holders, the comprehensive sanitisation, disinfection and cleaning of the court campus as per medical protocol would be on 11.09.2020 and closure of the Court for 24 hours i.e on 11.09.2020 is necessary as per guidelines of Govt. Of U.P.

Hence, the District Court, Shahjahanpur will be closed on 11.09.2020. The Court is already closed on 12.09.2020 and 13.09.2020 being second saturday and sunday. The Court will re-opened on 14.09.2020 as usual, after complete sanitisation and cleaning as per medical guidelines and protocol.

All the Officers and official concerned are directed to takeup defined urgent matters on 11.09.2020, in accordance with the mechanism/modalities preferred in administrative order no. 147/2020 dated 29.07.2020 & 162/2020 dated 13.08.2020 in compliance of the Hon'ble High Court's letter no. 1298/LXXXVII-CPC/e-Courts/Allahabad dated 28.07.2020.

Superintendent of Police, Shahjahanpur to ensure timely submission of prosection records, case diaries etc. to all court concerned through e-mail, in compliance of the letter no. 1306/LXXXVII-CPC/e-Courts/Allahabad dated 19.08.2020 as discussed in meeting dated 20.08.2020. Respective E-mail ID's of the Courts have already been communicated to all concerned.

(mg

The Chairman, Corona Committee of this judgeship, is directed to ensure complete sanitisation, disinfection and cleaning of entire court campus, as per medical guidelines and protocol, with the help of District Administration. CMO and Nagar Nigam etc. Copy of this order be circulated among all the Judicial Officers of this Judgeship and the Nodal Officer, Computer to upload this order on the District Court website.

Civil Judge (J.D.) Shahjahanpur shall hear and dispose off urgent Civil and Criminal matters relating to outlying court of Civil Judge (J.D.) Jalalabad, on 11.09.2020, through video conferencing as directed earlier.

Remand/Judicial work in respect of under trial prisoners shall be conducted as per modalities preferred in Administrative Order No.114/2020 dated 18.05.2020 and modified Administrative Order No.180/2020 dated 10.09.2020.

A copy of this order be send to the Hon'ble High Court for information.

Secretary, D.L.S.A. Shahjahanpur is directed to widely publicize this order amongst all stake holders through print media etc.

Inform all concerned accordingly.

Date: 10.09.2020

(Ram Babu Sharma)

District Judge & Sessions Judge, Shahjahanpur.

Copy to followings for information and necessary action.

- 1. The Principal Judge, Family Court, Shahjahanpur.
- 2. The District Magistrate, Shahjahanpur.
- 3. The Superintendent of Police, Shahjahanpur.
- 4. The Cheif Medical Officer, Shahjahanpur.
- 5. The Nagar Ayukt, Nagar Nigam, Shahjahanpur.
- 6. The President, Central Bar Association, Shahjahanpur.
- 7. The Superintendent, District Jail, Shahjanpur.
- 8. The District Information Officer for publication in news papers.
- 9. The D.G.C.Criminal and J.D.Prosecution Shahjahanpur.

Date: 10,09,2020

(Ram Babu Sharma)

District Judge & Sessions Judge, Shahjahanpur.

NUMBER OF CASES TAKEN UP AND DECIDED CHART

In the compliance of Hon'ble High Courts Letter no. 1298/LXXXVII-CPC/e-Courts/Allahabad, Dated-28.07.2020 today's NUMBER OF CASES TAKEN UP AND DECIDED are as follows-

	T	7	1 3	15		14	13		12	=	10	9	∞	7	6	5	4	ω	2	_		No SR.	
Grand Total	Sub Total (Outlying Court)	Civil Judge (J.D.), Jalalabad (Outlying Court)	Civil I. J. (I.D.), I uwayan (Ounying Court)	Civil Indoe (ID) Pharavan (Outlying Court)	Sub Total (Outlying Court-Tilhar)	Addl. Civil Judge (J.D.). Tilhar (Outlying Court)	Civil Judge (J.D.), Tilhar (Outlying Court)	Sub Total (HQ)	Civil Judge (J.D.)	A.C.J.M- I	Civil Judge (S.D.)	Chief Judicial Magistrate	A.D.S. J, Court No. 43	A.D.S. J. Court No. 5	A.D.S. J, Court No. 9	A.D.S. J, Court No. 8	A.D.S. J, Court No. 4	A.D.S. J, Court No. 3	A.D.S. J. Court No. 2	District & Sessions Judge		NAME OF COURT	
20			C	_	02	02	1	i	١	1	i	1	ſ	1	1	1	1	1	1	1		NO. OF CASES	
73	32)	7	<u>ي</u>	11	02	09	14	ĭ	02	ı	14	03	69	1	02	90	10	02	80		NO. OF NO. OF NO. OF CASES APPLICATIONS CASES	TAKEN UP
1	1	1	i	i	1	1	i	ı	ì	i	1	f	ſ	1	1	1	j	ı	í	i		NO. OF	
1.7	141)	Û	2	9	02	07	03	1	į	-	depen	J	10	1	1	10	ı		01		NO. OF APPLICATIONS	DECIDED
03	i	j	1	1	ĵ	1	ı	03	ĵ	j	i	1	1	10	1	İ	10	i	1	10		HOW MANY CASES WERE DECIDED BY VIRTUAL COURT	
1	1	1	1		1	1	1	1	1	j	1	f.	1	j	j	1	ı	1	١	1		NO. OF APPLICATIONS RECEIVED BY EMAIL TODAY	
0)	0)	I	1		0	1	0	J	i	î	ı	1	í	j	J	1	}	ì	j	1		IN HOW MANY CASES REMAND OF UNDER TRIAL PRISONERS CARRIED OUT	DA
24	.24	1	24		1	1	1	1	(1	1	11	i i	J	1	1	1	1	1	1		IN HOW MANY CASES JUDICIAL WORK, EXCEPT REMAND OF UNDER TRIAL PRISONERS CARRIED OUT	DAILY STATUS OF REMAND
25	25	1	24			1 _	0	ì	1	1	1)	1	1	J	1	1	1	1	1	Date-11.09.2020	NO. OF UNDER TRIAL PRISONERS COVERED	IAND

11/9/2020

0000